जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

क्रमांक :– 2089-2090 दिनांक:–27-4-26

:: विज्ञप्ति ::

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ–16(123)/रालसा/जेएस/LADC/2026/7221-7257 दि. 24.03.2026 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा के अधीनस्थ कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम, बांसवाड़ा हेतु पूर्णतया अस्थायी तौर पर संविदा के आधार पर कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं लिये जाने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत अधिकारीयों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते है –

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक (प्रतिमाह)
1	Office Assistant	3	14000/-
2	Receptionist cum Data Entry Operator	1	14000/-
3	Office Peon	3	11000/-

नोट :–

1. आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 04.05.2026 को कार्यालय समय दोपहर 1 बजे तक जरिये डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जा सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। **आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/banswara से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।**
2. ई–मेल द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. आवेदन करने से पूर्व संलग्न शर्तो को ध्यान से पढ़े।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :–2089-2090 दिनांक :– 27-4-26

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/समस्त न्यायालय, जिला बांसवाड़ा/जिला कलक्टर कार्यालय/नगर परिषद बांसवाड़ा।
2. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय बांसवाड़ा को वास्ते जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बांसवाड़ा (राज.)

–:: नियम व शर्तें ::–

1. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी दि. 31.03.2027 तक आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो, वह विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त कार्मिकों की सेवाएं सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन रहेगी।
2. नियुक्ति पूर्णतया संविदा पर अनुबंध के आधार पर की जाएगी तथा विज्ञप्ति में अंकित मानदेय/पारिश्रमिक ही अधिकतम मानदेय/पारिश्रमिक होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार को कोई मानदेय/पारिश्रमिक देय नहीं होगा। उक्त भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौति की जा सकेगी।
3. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 12 दिवस के वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे तथा राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। आकस्मिक अवकाश की देय सीमा से अधिक अवकाश लेने पर प्रत्येक अवकाश के लिए निर्धारित पारिश्रमिक का 1/30वां भाग काटा जावेगा।
4. इच्छुक सेवानिवृत कार्मिक को नियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. संतोषजनक सेवा नहीं पाये जाने अथवा प्रशासनिक कारणों के आधार पर 15 दिवस के नोटीस के आधार पर सेवा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
6. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है –
 a- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति
 b- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति
 c- पी.पी.ओ. की स्वप्रमाणित प्रति
7. यह भर्ती दिनांक 31.03.2027 तक के लिए की जानी है, जिसे आपसी सहमति व नियमानुसार शर्तो के अधीन बढ़ाई जा सकेगी।
8. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पश्चात् वे व्यक्तिशः प्राधिकरण के कार्यालय पर सम्पर्क नहीं करें तथा आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, बांसवाड़ा की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पता मय मोबाईल नम्बर :

5. आयु (दिनांक 31.03.2026) : वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
9. अनुभव :
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन :
 (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे)
 (एलपीसी संलग्न करें)
11. मूल पेंशन राशि :
 (पीपीओ संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान :
 (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :
 (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है :

हस्ताक्षर मय दिनांक

सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में सविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति पुत्र/पत्नी श्री जो सेवानिवृत्ति से पूर्व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमति..... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमति रू. मासिक मूल वेतन आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमति अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमति के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय मोहर